न्यायालय, विशेष न्यायाधीश, औषधि एवं अंगराग अधिनियम, पटना

सत्र वाद सं0–774 / 2023

आदेश

25.05.2024 इस मामले में एकमात्र अभियुक्त उमा शंकर राय के द्वारा प्रतिनिधित्व का आवेदन दिया गया है, जिसे केवल आज तक के लिए स्वीकृत किया जाता है। उपरोक्त अभियुक्त के तरफ से द0प्र0स0 की धारा 227 के अंतर्गत दाखिल उन्मोचन आवेदन पर उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुनने के पश्चात अभिलेख आज आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आवेदन उपरोक्त में वर्णित तथ्यों के आलोक में अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक अभियुक्त के तरफ पूर्व कोई अन्य उन्मोचन आवेदन माननीय उच्च न्यायालय या इस न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। इस मामले में अभियुक्त के विरूद्ध धारा 420, 120बी भा0द0वि0 एवं धारा 27, 27(बी)(ii), 28, 28(ए) औषधि एवं अंगराग अधिनियम के अंतर्गत संज्ञान लिया गया है। उनका आगे कथन है कि आवेदक निर्दोष है उसने कोई अपराध नहीं किया है उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक 72 वर्ष का एक वृद्ध व्यक्ति है तथा वह भवन निर्माण से संबंधित सामग्रियों का व्यापार करता है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि इस मामले में प्रसंगिक गुमटी आवेदक का नहीं है, बल्कि उसमें लिखा मोबाइल नम्बर आवेदक का लिखा पाया गया है, जो केवल ग्राहकों के संकेत मात्र के लिए लिखा गया था। अनुसंधान के क्रम में अनुसंधानक द्वारा जिन साक्षियों का बयान लिया गया है वे सभी छापामारी दल के सदस्य हैं। उक्त गुमटी आवेदक का नहीं है और न ही उसे उक्त गुमटी में उक्त नशीली दवाएं रखने की भी कोई जानकारी थी। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित किये जाने हेतु कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है। निवेदन है उसे उन्मोचित किया जाय।

विरोधस्वरूप विद्वान विशेष लोक अभियोजक आवेदक के उन्मोचन आवेदन का विरोध किया गया है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना। उन्मोचन आवेदन, अभिलेख सहित कांड दैनिकी का अवलोकन किया, जिससे विदित होता है कि आवेदक अभियुक्त प्राथमिकी का नामित अभियुक्त है। अभिलेख के अवलोकन यह भी विदित होता है कि तथाकथित गुमटी जहां से संदिग्ध औषधि बरामद किया गया है, उसमें ताला बंद था, उस पर लिखे फोन नम्बर को मिलकर अभियुक्त को बुलाया गया, जिसने ताला खोला। आवेदक द्वारा द0प्र0स0 की धारा 227 के अंतर्गत दाखिल उन्मोचन आवेदन में यह नहीं कहा गया है कि उनके द्वारा गुमटी में लगा ताला उनके द्वारा नहीं खोला गया, उनके पास उस गुमटी की चाभी कैसे आयी या गुमटी पर ताला नहीं लगाया

लगातार
25.05.2024

था। गुमटी का ताला अभियुक्त द्वारा खोला गया तो यह माना जाएगा कि वह उनके कब्जे में था। जांच प्रक्रिया का वीडियोग्राफी भी करायी गई है। अनुसंधान के दौरान कांड दैनिकी के कंडिका 5, 6, 7 में अंकित साक्षियों ने घटना का समर्थन किया है। अभिलेख पर जब्ती सूची उपलब्ध है।

आरोप गठन के प्रक्रम पर न्यायालय को यह देखना है कि क्या अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप गठन हेतु सामग्री उपलब्ध है या नहीं। न्यायालय को अभिलेख के इस प्रक्रम पर यह तय नहीं करना है कि क्या विचारण का अंत दोषसिद्धि या दोषमुक्ति होगा।

उपरोक्त विवेचना एवं इस मामले में प्राथमिकी में उल्लिखित अभिकथन तथा कांड दैनिकी में अंकित साक्षियों के बयान के आधार पर यह न्यायालय पाती है कि अभियुक्त के विरूद्ध धारा 420, 120बी भा0द0वि0 एवं धारा 27, 27(बी)(ii), 28, 28(ए), 27 औषधि एवं अंगराग अधिनियमके अंतर्गत आरोप गठन हेतु पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है।

अतएव उपरोक्त अभियुक्त के तरफ से दाखिल उन्मोचन आवेदन को उपरोक्त तथ्यों के आलोक में **खारिज** किया जाता है। वाद दिनांक 25.06.2024 को आरोप गठन हेतु अभियुक्त सदेह उपस्थित रहें।

लेखापित एवं संशोधित

विषेष न्या0